संख्या-309/2026/ सा0-43/23-1-26/सा0-11/26

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2026

विषयः-लोक निर्माण विभाग में मार्गों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग में विभिन्न जनपदों में मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-188/2025/सा0-13/23-1-25/23-1099/84/2025, दिनांक 11 अप्रैल, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं आगामी वित्तीय वर्षों की कार्ययोजना का अंतिमीकरण विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तथा समय-सारिणी निर्धारित की गयी है।

2- उक्त शासनादेश वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं आगामी वित्तीय वर्षों के लिए प्रभावी है, सम्प्रति वित्तीय वर्ष 2026-27 प्रारम्भ हो चुका है, चालू वित्तीय वर्ष में मार्गों तथा सेतुओं की कार्ययोजना का अंतिमीकरण विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से तद्नुसार किया जाना है।

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में विभिन्न जनपदों में मार्गों तथा सेतुओं के निर्माण के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समयसारणी का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ अभियन्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परियोजनाओं की विभिन्न कार्ययोजनाओं को तैयार किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-309/2026/ सा0-43(1)/23-1-26/सा0-11/26-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारीगण, उ0प्र0।
3. विशेष सचिवगण, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एव विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1/सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, सचिवगण, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रबंध निदेशक, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।